(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1579–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–04–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 30/अपील/2014–15.

.....

सुनीता पति ओमप्रकाश धाकड़
निवासी ग्राम नयागांव तहसील जावद
जिला नीमच

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–श्रीमती बेनाबाई पति शिवनारायण
निवासी ग्राम मेण्डकी तहसील जावद जिला नीमच
2–रसीला पति सत्यनारायण
निवासी ग्राम आक्यानाजी तहसील निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौढ(राजस्थान)

..... अनावेदकगण

.....

श्री एम0के0जैन, अभिभाषक–आवेदिका
श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 4/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन सभांग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उभयपक्ष आपस में सगी बहने हैं, उनकी माता बंशीबाई के नाम से ग्राम खोर तहसील जावद स्थित भूमि सर्वे कमांक 536/2 रकबा 0.062 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 537/1 रकबा 1.291 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 542 पै. रकबा 0.690 हेक्टेयर कुल रकबा 2.043 हेक्टेयर थी। बंशीबाई ने दिनांक 8–2–2013 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से उपरोक्त भूमि में से 0.789 हेक्टेयर एवं 0.627 हेक्टेयर भूमि अनावेदकगण को विकय कर दी एवं नामान्तरण पंजी पर दिनांक 4.3.2013 को नामान्तरण स्वीकृत हो गया, परन्तु खसरे में इंद्राज नहीं हुआ । इस बीच तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत पंजी कमांक 26 पर दिनांक 01–10–2013 को आदेश पारित कर सहमति से आवेदिका का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–09–2014 को आदेश पारित किया जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–04–2015 को आदेश पारित अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12–09–2014 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–10–2013 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–03–2013 स्थिर रखा जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि नामान्तरण पंजी पर अनावेदकगण के फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि अनावेदिका बेनाबाई एवं रसीलाबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये है कि धोखे से हस्ताक्षर कराये गये हैं, अर्थात् एक तरफ तो अपर आयुक्त के समक्ष फर्जी हस्ताक्षर कराये जाने का आधार लिया जा रहा है और

दूसरी तरफ हस्ताक्षर धोखे से कराये जाने की बात की जा रही है । इससे स्पष्ट है कि नामान्तरण फजी पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर है अतः तहसीलदार द्वारा सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी और न ही ऐसी अपील मे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जा सकता था । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा स्वच्छ हाथों से कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि अनावेदकगण द्वारा यह नही बतालाया जा सका है कि उनसे धोखे से किस प्रकार से हस्ताक्षर कराये गये हैं अर्थात अनावेदकगण द्वारा हस्ताक्षर नामान्तरण पंजी पर हस्ताक्षर किया जाना स्वीकृत किया जायेगा । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन कराया गया है और किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्षो में हस्ताक्षेप किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब नामान्तरण पंजी पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर है, तब वे यदि नामान्तरण से सहमत नहीं थे तो हस्ताक्षर क्यों किये । तर्क के समर्थन में 1984 आर.एन. 306, 2005 आर.एन. 219 व 2005(1) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 13 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि बिना पंजीकृत दस्तावेज के स्वत्व का अन्तरण नहीं किया जा सकता है और तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण आवेदिका के पक्ष में मान्य करते हुये आदेश पारित करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि नामान्तरण आदेश पारित करने में विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं किया गया है । यह

भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता धारा 178 में बने बटवारा नियमों के नियम 5, 6 व 7 के अन्तर्गत सहमति से आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के बाद भी फर्द बटवारा तैयार कर सहमति लेनी होती है । उक्त प्रकरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है बटवारे में समस्त भूमि आवेदिका को दी गई है, जबकि बटवारा समान भूमि का किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि शादीशुदा बहने संयुक्त परिवार में नहीं आती है चूँकि तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा नियमों का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश इसलिये निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। नामान्तरण पंजी को देखने से स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 26 पर तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने बटवारा नियमों के नियम 4 व 6 के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, कारण उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत बटवारे संबंधी फर्द तैयार की जाकर उस पर सहखातेदारों को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये विधिवत् बटवारा आदेश पारित किया जाता है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 01–10–2013 इसी आधार पर पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा गया है, जो कि विधि की गंभीर भूल है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से यह स्थिति भी स्पष्ट है कि भूमिस्वामी बंशीबाई द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि में से रकबा 0.789 हेक्टेयर भूमि आवेदिका को, 0.627 हेक्टेयर भूमि अनावेदिका कमांक 1 को एवं 0.627 हेक्टेयर भूमि अनावेदिका कमांक 2 विकय की गई है जिन पर

केता उभयपक्ष का नामान्तरण भी दिनांक 04–03–2013 के आदेश से स्वीकृत हो गया है, परन्तु तहसीलदार द्वारा बटवारे में अनावेदकगण की भूमि को भी बटवारा स्वीकृत करते हुये आवेदिका को दे दी गई है । तहसीलदार की उक्त कार्यवाही भी वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराई जा सकती है, इस स्थिति पर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है । यहॉ महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि अनावेदकगण की ओर से यह आधार लिया जा रहा है कि उनके द्वारा नामान्तरण पंजी पर सहमति स्वरूप कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं और नामान्तरण पंजी पर धोखे से हस्ताक्षर कराये गये हैं । अनावेदकगण की ओर से किये गये उपरोक्त कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकरण में परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि यदि बटवारे में उनकी सहमति होती, तब उनके द्वारा बटवारा आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की जाती । इस संबंध में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा सहमति दी जाकर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये हैं, क्योंकि अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है कि उनके द्वारा नामान्तरण पंजी पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं और हस्ताक्षर फर्जी है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनसे नामान्तरण पंजी पर धोखे से हस्ताक्षर कराये गये हैं, जो कि आपस में विरोधाभासी है। कारण जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के बटवारे में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई है और उनसे धोखे से हस्ताक्षर कराये गये हैं । आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, क्योंकि जहॉ समवर्ती निष्कर्ष विधि के प्रावधानों के विपरीत हों, वहॉ समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया जा सकता है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर विचारण

न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 04–03–2013 स्थिर रखने में पूर्णतः विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन सभांग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2015 स्थिर रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी, जावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–09–2014 एवं तहसीलदार, तहसील जावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–10–2013 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय, जावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–03–2013 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर